

(3) करदाता योग्यता के सिद्धांत पर आधारित (Basis of Ability to pay principle) :- प्रत्यक्ष कर को प्रगतिशील बनाकर सभी से अधिक लाभ वाली से कम कर प्राप्त किया जा सकता है।

(4) इनमें मितव्ययिता (Economy) होती है :- प्रत्यक्ष कर के करदाताओं को संरक्षा सीमित होने के साथ-साथ सरकार को मुआवजा सीधे सरकार को करते हैं। अतः कर संग्रह पर शीघ्रता (अथवा) करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों में मितव्ययिता के गुण पाये जाते हैं।

(5) नागरिकता की भावना का विकास :- करदाताओं को यह माध्यम होता है कि उनके पुत्रों को भी कर का उपयोग देश के विकास पर किया जा रहा है। इस प्रकार, इसमें नागरिकता के साथ-साथ राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास होता है।

(6) इनमें निश्चितता पाई जाती है :- प्रत्यक्ष करों में निश्चितता पाई जाती है; क्योंकि करदाता को यह अच्छी तरह माध्यम होता है कि कितना कर पड़ेगा, कितना कर देगा, कब कर चुकाना है। इसी तरह सरकार को भी इन सभी बिंदुओं की जानकारी होती है।

(7) इसे कर उत्पादक भी कहते हैं :- क्योंकि कर के रूप में प्रत्यक्ष करों की तुलना में उत्पादक कार्यों में विनिवेशित करते हैं, अतः इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के करों का उत्पादन होता है। साथ-ही साथ व्यापार के देश को लाभ प्राप्त होता है। अतः प्रत्यक्ष कर उत्पादक होते हैं।

प्रत्यक्ष करों के दोष (Demerits of Direct Taxes)

प्रत्यक्ष करों में निम्न दोष पाये जाते हैं :-

(1) मन-चाही दरें :- प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर करदाता योग्यता के सिद्धांत पर आधारित हैं। अतः सरकार कभी-कभी मन-चाही दरें बढ़ा कर करदाताओं से अधिक कर वसूलती है।

(2) अक्षमता (Inconvenience) :- इसमें करदाताओं को अपनी प्रकृति की-कल्पितियों का सामना करना पड़ता है; जैसे उन्हें अपने उद्योग व्यय का हिसाब-किताब रखना पड़ता है। साथ-ही साथ-ही से शायद प्राप्त होने पर हर तीन महीने में निवर्तन कर जमा करना पड़ता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों को रोकथाम धरिष्ठ करना पड़ता है।

(3) कर अवयव (Tax Evasion) :- क्योंकि इसमें कर की दर प्रगतिशील होती है अतः कर से बचने के लिए करदाता अपनी संपत्ति तथा आय को कम करके दर्शाते हैं।

(4) अपर्याप्त (Inadequate) :- प्रत्यक्ष करों से सरकार को अपर्याप्त भागा में आय प्राप्त होती है; क्योंकि करदाताओं की संख्या देश में अपर्याप्त है।

Fund levy **शुल्क** के अन्तर्गत - "राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं की आय तथा व्यय के सिद्धांतों का अध्ययन है" (The study of the principles underlying the spending raising of funds by Public Institutions)

इस प्रकार, राजस्व की विभिन्न परिभाषाओं की गई है लेकिन इनमें कोई भी सही नहीं है। सभी परिभाषाओं का पूरा अभाव नहीं है कि राजस्व के अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थाओं के आय तथा व्यय का अध्ययन किया जाता है। परिभाषाओं में दो मुख्य तत्व निहित हैं:-

- (1) राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं के वित्त का अध्ययन है जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्थापनाओं से लेकर केंद्रीय सरकार तक की सभी संस्थाएं शामिल हैं।
- (2) राजस्व का संबंध आर्थिक सार्वजनिक संस्थाओं के आय-व्यय संबंधित प्रश्नों से है।

अथवा इसे राजस्व वह विज्ञान है जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थाओं के आय-व्यय, संकलन, वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नीति का अध्ययन किया जाता है, जिसका अर्थ उद्देश्य जनकल्याण होता है।

राजस्व के क्षेत्र अथवा मुख्य विभाग अथवा विषय-वस्तु
(Scope or main subject-matter or divisions or subject-matter of PF)
राजस्व के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

(1) **सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)**:- कल्याणकारी राज्यों में जनकल्याण पर जारी एक व्यय करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः सार्वजनिक व्यय के तहत अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों, सिद्धांतों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यय के विभिन्न साधनों का निर्धारण के सिद्धांतों का विषय सार्वजनिक व्यय के विभिन्न सिद्धांतों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सरकार यह निर्णय लेती है कि जनकल्याण के लिए कितना व्यय करना है तथा किन सिद्धांतों के आधार पर व्यय करना है।

(2) **सार्वजनिक आय (Public Revenue)**:- सरकार व्यय के विभिन्न ढंगों के निर्धारण के बाद अपने व्ययों को पूरा करने के लिए आय के विभिन्न स्रोतों, सिद्धांतों एवं समस्याओं का अध्ययन करती है। सरकार यह परालगाती है कि सार्वजनिक आय के कौन-कौन से साधन हैं तथा किन-किन ढंगों पर कर का निर्धारण किन-सिद्धांतों के आधार पर किया जाना उपयुक्त होगा।

(3) **वित्तीय प्रशासन (Financial Management)**:- **सार्वजनिक ऋण (Public Debt)**:- जब सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय की तुलना में कम होती है तो इस अवस्था में सरकार अपने व्ययों को पूरा करने के लिए आन्तरिक ऋण (Internal Debt) अथवा बाह्य ऋण (External Debt) का सहारा लेती है। आन्तरिक ऋण देश की जनता से लिये जाते हैं। ऋण, उधार, महाभारी ऋणों के व्ययों को पूरा करने के लिये कमी-कमी ऋण दोनो प्रकार के ऋण लेने पड़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भी ऋण ऋणों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण के तहत पूरा व्यय का अध्ययन करते हैं कि किन-किन कार्यों के लिए कौन सा ऋण लिया जाए।

(4) **वित्तीय प्रशासन (Financial Management)**:- सार्वजनिक आय व्यय तथा ऋण के प्रबंधन हेतु एक अलग संगठन के स्थापना की आवश्यकता पड़ती है जिसे वित्तीय प्रशासन कहते हैं। वित्तीय प्रशासन इन सभी ढंगों की उचित व्यवस्था करता है। वजह तैयार करने तथा इसके अध्ययन की जिम्मेवारी करनी विभागाधीन

की विभागीय है। इसके अतिरिक्त यह कर्जों की प्राप्ति, मुद्रा के कर्जों का मुद्रागत तथा सरकारी ऋणों के अभावों की भी विभागीय इसी विभाग की होती है।

(5) राष्ट्रीय ऋण (Federal Finance): वर्तमान समय में USA और आस्ट्रेलिया आदि ऐसे देशों में संघीय ऋण प्रणाली लागू है। इस विभाग में संघीय ऋण तथा राज्य सरकारों के ऋण के विधीय संघर्षों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही सार्वजनिक व्यवसाय के अभावों तथा सरकारी के ऋण किरा प्रकाश हो, इसी विभाग में सम्भल आता है।

मिथ्या: यथापि स्वतंत्र केहीन अथवा विपथ-वस्तु को पांच वर्गों में विभक्त किया गया है, यथापि यह कदापि विद्वान् असंभव है कि इनमें से कौन सा विभाग सबसे महत्वपूर्ण है; क्योंकि सारे विभाग महत्त्व संवर्धित हैं।

→ END ←

Q) राजस्व क्या है ? इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
What is public finance? Discuss its scope.

प्राचीन काल में राज्य मुख्यतः 'पुब्लिक राज्य' हुआ करते थे, जिनका कार्य केवल वाहरी आक्रमण करिये से देश की सुरक्षा करना तथा देश के अन्दर शांति बहाल करना था। लेकिन वर्तमान समय निम्न के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशासनिक शासन व्यवस्था स्थापित हुए तथा राज्य 'कल्याणकारी राज्य' के रूप में परिचित हो गये। कल्याणकारी राज्यों का दायित्व वाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त अन्दर शांति बहाल करके करने के अतिरिक्त जनकल्याण के लिए उचित कार्य करने पड़ते हैं। राज्यों के दायित्वों में वृद्धि के कारण इन्हें आय-व्यय के उचित प्रवर्धन की आवश्यकता महसूस हुई तथा इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए राजस्व का विकास हुआ।

आवश्यकताओं को दो वर्गों में विभक्त किया गया है - (1) व्यक्तिगत आवश्यकताएँ; जैसे शैली, कपड़ा इत्यादि प्रकार आदि। (2) सार्वजनिक आवश्यकताएँ; जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा आदि। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति स्वयं की आय से कर लेता है लेकिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी व्यक्ति के पास की बात नहीं है; क्योंकि कुछ अधिक व्यय की आवश्यकता पड़ती है/अतः सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार के पास रहता है। राज्य सरकार सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक आय प्राप्त करती है। इसके लिए जनता पर विभिन्न प्रकार के करों का निर्धारण किया जाता है। जोसे से अलग होने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वह सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्णता का सही ढंग से प्रकाश, राजस्व सरकार के आय-व्यय संबंधी किताबों का अध्ययन है।

राजस्व की परिभाषा (Definition of Public Finance)

विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा राजस्व की विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं। राजस्व वा अंग्रेजी Public Finance होता है। Public का अर्थ जनता अथवा जनसमुदाय से है तथा Finance का अर्थ वित्त से है। इस प्रकार, राजस्व जनसमुदाय के वित्त का अध्ययन है। लेकिन सार्वजनिक (Public) का मतलब जनसमुदाय से न, बल्कि सार्वजनिक अधिकारियों (Public Authorities) से है जो जनता के प्रतिनिधियों के रूप में जनहित (Public Welfare) के लिए कार्य करते हैं। लेकिन इन सार्वजनिक अधिकारियों का संबंध सार्वजनिक संस्थाओं से है; जैसे- आय कर विभाग, सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय आदि। अतः यह कह सकते हैं कि राजस्व का संबंध सार्वजनिक संस्थाओं के आय-व्यय से है अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के वित्त से है।

Dasdale के अनुसार - "राजस्व किसी राष्ट्र की सार्वजनिक संस्थाओं के आय-व्यय, उनके पारस्परिक संबंध वितीय शासन एवं नियंत्रण का विवेचन है। (Public finance deals with the income and expenditure of public authorities of the state and their mutual relation as also with financial administration and control.)"

Chapman के अनुसार - "राजस्व शब्दीय अर्थशास्त्र का वह विभाग है जो सरकार की आय प्राप्त करने तथा उसके प्रवर्धन करने की विधा की विवेचना करता है। (Public finance is that part of political economy which discusses the way in which the Govt. obtain revenues and manage them.)"

अप्रत्यक्ष करों के दोष (Demerits of Indirect Taxes)

अप्रत्यक्ष करों के निम्नलिखित दोष हैं:-

- 1) **वितरण की असमानता की प्रोत्साहन** :- चूंकि इन करों का अनुशासन अमीर उरीर गरीब समान रूप से करते हैं, अतएव इसे असमानता की प्रोत्साहन मिला है। अमीर, अमीर ही उजाते हैं उरीर गरीब उरीर उनीयकगरीबी की उरीर अनुसर होते हैं।
 - 2) **व्ययित नहीं** :- चूंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं के मूल्य में शामिल होते हैं, अतएव अमीर उरीर गरीब समान रूप से मूल्य चुकाते हैं। इस प्रकार इसे 'व्यापसंगत' नहीं कहा जा सकता है।
 - 3) **क्षित्य नहीं** :- चूंकि ऐसे करों का दायरा विस्तृत होता है, अतः इनकी वस्तुओं में उनीयक वनराशि स्वयं करने पड़ते हैं। चूंकि कर, सीमा शुल्क, विक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि करों की वस्तुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्मिकों की तथा उनीयक स्थापनों की आवश्यकता पड़ती है तथा इन पर सरकार की उनीयक मात्रा में वनराशि स्वयं करना पड़ता है।
 - 4) **मुद्रा रक्षित की प्रवृत्ति उत्पन्न होती** :- जब कीदों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तु के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होती है, अतः प्रकार मुद्रा रक्षित की प्रोत्साहन मिलता है।
 - 5) **नागरिकता की भावना का विकास नहीं** :- ऐसे करों से नागरिकों में नागरिकता की भावना का विकास नहीं होता है; क्योंकि उनीयक कांश लोगों को यह तक पता नहीं होता है कि वस्तु की स्वरीवारी के क्रम में उरने कर चुकाया है। वर्तमान परिस्थिति के लोगों में नागरिकता की भावना का विकास नहीं हो पाता है।
 - 6) **अप्रत्यक्ष कर अनिश्चित होते हैं** :- वस्तु की मांग में कमी होने पर कर की मात्रा में कमी आ जाती है तथा सरकार की उनीयक घट जाती है। अतः अप्रत्यक्ष कर अनिश्चित होते हैं।
- निष्कर्ष** के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तथा परीक्षा कर दोनों के उरपने-उरपने गुणा-दोष हैं। अतः इन दोनों में से किसी एक को उरप्युक्त नहीं कहा जा सकता है। कल्याणकारी राश्यों के लिए दोनों प्रकार के कर वांछनीय हैं।

→ DND ←

Dr. Bindu Pahan,
Deptt. of Eco;
A. B. M. College, J.R.

Q. Explain the relative merits and demerits of direct and indirect taxes.
कर को उनके भार (Burden) के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है: - (1) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) एवं (2) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax).

1. DIRECT TAX MERITS

प्रति कर का दबाव एवं भार एक ही व्यक्ति पर पड़े तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके विपरीत यदि कर का दबाव (Impact) तथा कर का भार (Incidence) दो अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़े तो इसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। आय कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है; जबकि निर्यात कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इन दोनों करों की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है।

J.S. Mill के अनुसार - "प्रत्यक्ष कर वह है जो उन्नी व्यक्ति से मांगा जाता है जिसे वह आसानी से बर्दाश्त कर सकता है कि वह मुगलान करेगा। अप्रत्यक्ष कर वे जिन्हें एक व्यक्ति से दूसरे उधार एवं देव से अपनी कमी को पूरा कर लेना।"

C.F. Bastable के अनुसार - "व्यवहारिक विद्वानों के अनुसार करों की प्रत्यक्ष मानते हैं जो स्थायी तथा निरंतर उत्पन्न होने वाले अनवरतों पर लगाये जाते हैं जबकि कमी-कमी उत्पन्न होने वाले तथा निरीप अनवरतों पर लगाये जाने वाले गये कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं।"

Prof. A.R. Prent के अनुसार - "प्रत्यक्ष कर वे हैं जो आय की प्रकृति पर आधारित हैं जबकि अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो व्यय पर लगाये जाते हैं।"

प्रत्यक्ष करों के गुण (Merits of Direct Taxes)

प्रत्यक्ष करों में निम्न गुण पाये जाते हैं: -

- (1) प्रत्यक्ष कर लोचदार होते हैं (Elastic): - प्रत्यक्ष कर लोचदार होते हैं; क्योंकि कि आवश्यकतानुसार कर की दरों में वृद्धि अथवा कमी कर कमरा; उन्नी क अथवा कम धन प्राप्त किया जा सकता है; जैसे कुछ अथवा संकट का हीन स्थिति में कर की दरों में वृद्धि कर कुछ अथवा संकट से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। फिर स्थिति सामान्य होने पर कर की दरों में कमी लाकर सामान्य अनवरतों को प्राप्त किया जा सकता है।
- (2) इसमें प्रगतिशीलता (Progressiveness) का समावेश किया जा सकता है - क्योंकि प्रत्यक्ष करों का निर्धारण आय तथा संपत्ति पर किया जाता है अतः इसे उदासानी से प्रगतिशील बनाया जा सकता है अर्थात् उन्नी में वृद्धि के साथ कर की दरों में भी उदासानी से वृद्धि की जा सकती है।

Dr. Vinod Khanna
Rajwade College, MR